न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2019/00034 (13/2019) **दायरा दिनांक : 10.01.2019**

उनवान

1. भंवरलाल पुत्र बालूराम, जाति कोली
2. श्रीमति चतरीबाई पुत्री बाबूराम पत्नी गिरिराज किशोर कोली
3. श्रीमति कमलाबाई पुत्री बालूराम पत्नी पन्नालाल, जाति कोली
4. श्रीमति सुशीलाबाई पुत्री बालूराम पत्नी गोपाल लाल, जाति कोली
5. श्रीमति मुन्नीबाई पुत्री बालूराम पत्नी बाबूलाल, जाति कोली

निवासीगण ग्राम पीपल्दा/समसपुर, तहसील बारां राज०

.... अपीलांट

बनाम

1. गोरधन पुत्र गणेश, जाति कोली, निवासी गेता रोड़ इटावा, जयपुर, विद्युत वितरण निगम लि० इटावा
2. जमनालाल पुत्र गणेश, जाति कोली, निवासी समसपुर, तहसील बारां राज०
3. जगदीश पुत्र गणेश, जाति कोली, निवाती समसपुर, तहसील बारां राज०
4. श्रीमति नन्दकंवरी पुत्री गणेश पत्नी मांगीलाल, जाति कोली निवासी रायथल तहसील मांगरोल, जिला बारां राज०
5. श्रीमति हजारीबाई पुत्री गणेश पत्नी पप्पूलाल, जाति कोली, निवासी समसपुर तहसील बारां जिला बारां राज०
6. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर, बारां राज०
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां राज०

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री ओ० पी० मेहता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री बाबू लाल जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 16.09.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 16/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 14.12.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम समसपुर पटवार क्षेत्र लिसाडिया, तहसील बारां की आराजी सम्वत 2067 से 2070 जमाबंदी संख्या नया 139 पुराना 129 की आराजी खसरा नं.

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

554/699 रकबा 0.12 हेक्टर स्थित है एवं ग्राम समसपुर पटवार क्षेत्र लिसाडिया, तहसील बारां की जमाबंदी 2067 से 2070 जमाबंदी संख्या नया 46 पुराना 40 की आराजी खसरा नं. 86 रकबा 0.18 हेक्टर, खसरा नं. 236/680 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नं. 554 रकबा 1.14 हेक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.35 हेक्टर कुल स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 14.12.2018 से वाद वादी खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य का ठीक प्रकार से विवेचन नहीं किया गया, न ही न्याय की मंशा को सम्झाने का प्रयास किया गया मनमाना व विधि विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 14–12–2018 पारित की गई है जो खिलाफ कानून होने से काबिले निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नम्बर 1 का निर्णय गलत रूप से प्रतिवादीगण के पक्ष में किया गया है जबकि उक्त तनकी को वादीगण द्वारा रिकार्डेड साक्ष्य से भली भांति प्रमाणित किया है क्योंकि राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया अपनाये व बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से वादीगण के पिता बालू उर्फ बालूराम के स्थान पर बाबू दर्ज किया गया जबकि मृतक भैरूलाल जी के केवल बालू, गणेश दो ही पुत्र थे बाबू नाम का कोई पुत्र नहीं था। इस प्रकार जमाबंदी सम्मत 2047–2050 में खातेदार के रूप में मु० केशर बेवा भैरु हिस्सा 1/3 बालू गणेश पुत्रगण भैरू हिस्सा 2/3 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है जिसमे नामान्तकरण संख्या 154 का नोट अंकित है जिसमे मृतक केशर के स्थान पर बालू, गणेश पुत्र भैरू का नाम समभाग दर्ज का लगा हुआ है किन्तु इसके पश्चात जमाबंदी सम्मत 2051–2054 तैयार करते वक्त बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादीगण के पिता बालू उर्फ बालूराम के स्थान पर बाबू दर्ज कर दिया गया जबकि बिना वैधानिक प्रक्रिया अपनाये या बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के किसी भी प्रकार से किसी भी खातेदार का नाम परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर बालू उर्फ बालूराम के स्थान पर बाबू दर्ज कर दिया गया जिसका फायदा उठाकर गणेशराम द्वारा बाबूलाल के नाम से फर्जी व्यक्ति से हकत्याग पत्र जो दिनांक 27–01–1997 को लिखवाया गया जो 18–02–1997 को पंजीयन कराया गया है जिस पर किसी का भी फोटो अंकित नहीं है जिसके आधार पर इंतकाल क्रमांक 200 दिनांक 06–03–1997 को हल्का पटवारी द्वारा खोला गया जो दिनांक 03–05–1997 को तस्दीक किया गया जो बाबूलाल नाम के फर्जी व्यक्ति को उपस्थित कर के हक त्याग करवाया गया है जिसके आधार पर उक्त नामान्तकरण संख्या 200 खोला गया है इस प्रकार हक त्याग दिनांक 27–01–1997 लिखा गया तथा दिनांक 18–02–1997 को तस्दीक कराया गया जो विधि अनुसार प्रभावशून्य है जिससे सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर कोई गौर नहीं किया गया और विधि विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 14–12–2018 पारित की गई है जो खिलाफ कानून होने से काबिले निरस्त किये जाने

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 2 पूर्णतः वादीगण के पक्ष में प्रमाणित मानी गई है। तनकी संख्या 3 का विवेचन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से किया गया है तथा तनकी संख्या 4 का भी विवेचन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से किया गया है जबकि कृषि आराजियात के संदर्भ में किसी भी प्रकार का विवाद है तो उसे सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी नं 4 का गलत रूप से विवेचन किया गया है। तनकी संख्या 5 का विवेचन करते वक्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से विवेचन किया गया है तथा उल्लेख किया गया है कि बात को उसी समय सिविल न्यायालय से चुनौती देना था तब बाबू के फर्जी होने की पुष्टि होती। यह मानते हुये ही उक्त तनकी का गलत रूप से विवेचन किया गया है इसी प्रकार तनकी संख्या 6 का भी गलत रूप से विवेचन किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह मानकर कि हकत्याग को सिविल न्यायालय में चुनौती देनी थी जो 3 वर्ष के अन्दर देनी थी इसी आधार पर राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं मानते हुये वाद चलने योग्य नहीं माना इस प्रकार इस तनकी का निर्णय भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से पारित किया गया है। इसी प्रकार तनकी संख्या 7 का भी विवेचन गलत रूप से किया गया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून की मंशा को सम्झने में भारी भूल की गई है तथा निर्णय व डिक्री दिनांक 14–12–2018 सर्वथा विधि विरुद्ध एवं न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत पारित की गई है वो काबिले निरस्त किये जाने योग्य है। प्रतिवादगण द्वारा पूरे वाद पत्र में यह कहीं भी प्रमाणित नहीं किया कि बालू उर्फ बालूराम के स्थान पर बाबू किस प्रकार से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया तथा न ही यह कही सिद्ध किया कि बाबू नाम का कोई पुत्र भैरूलाल जी के या फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद गलत रूप से खारिज किया गया है जबकि वादीगण की ओर से अपनी साक्ष्य में सभी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद प्रमाणित नहीं मानकर भारी भूल की गई है व निर्णय व डिक्री दिनांक 14–12–2018 विधि विरुद्ध एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत पारित की गई है जो काबिले निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.12.2018 प्रकरण सं० 16/2014 निरस्त फरमाई जाकर वादीगण का वाद डिक्री किया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में हमने धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का दावा किया था। नामान्तरकरण सं. 145 दिनांक 25.05.1975 से खसरा नं. 420 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा में से 1 बीघा बालू, गणेश

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पुत्र भैरू कोली के नाम दर्ज हुई। भू प्रबन्ध की जमाबंदी संवत 2038–2057 में खसरा नं. 420 के नये नम्बर 554/699 रकबा 0.12 हेक्टर कायम किये जिस पर बालू के नाम पर बाबू कर दिया गया। अपीलांट बालू के वारिसान है। दुरूस्ती का दावा किया। खसरा नं. 86, 236/680 व 554 कुल रकबा 1.35 हेक्टर जिसमें 1/3 हिस्सा बालू, 1/3 हिस्सा माता केसर मृत्यु नामान्तरकरण सं. 154 दिनांक 02.06.1993 से दोनों भाइयों को 1/2, 1/2 हिस्सा दिया, तथा 1/3 हिस्सा गणेश का है। जमाबंदी संवत 2051–2054 में बालू के जगह बाबू कर दिया गया। बाबू नाम का दूसरा व्यक्ति खड़ा कर के दिनांक 18.02.1997 को हकत्याग लिखा लिया गया। हमने घोषणा का दावा किया है। हमने दावे की मद नं. 5 में सजरा पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने हमारा दावा निरस्त किया है। घोषणा के दावे की कोई लिमिट नहीं होती है। रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों ने गलती की है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पंजीकृत हकत्याग है जिसे सिविल न्यायालय ही निरस्त कर सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत होने के कारण अपील खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में 2019 आर.बी.जे. पेज 101 की नजीर उद्धरत की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांटगण द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् दावा पेश कर कथन किया है कि ग्राम समसपुर, पटवार क्षेत्र लिसाडिया, तहसील बारां की संवत 2067–2070 जमाबंदी संख्या नया 139 पुराना 129 की आराजी खसरा नं. 554/699 रकबा 0.12 हैक्टर स्थित है। इसी प्रकार ग्राम समसपुर, पटवार क्षेत्र लिसाडिया, तहसील बारां की जमाबंदी 2067–2070 जमाबंदी संख्या नया 46 पुराना 40 की आराजी खसरा नं. 86 रकबा 0.18 हेक्टर, खसरा नं. 236/680 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नं. 554 रकबा 1.14 हेक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.35 हैक्टर आराजी स्थित है। उक्त आराजियात को वादपत्र में विवादित आराजियात के नाम संबोधित किया गया है। खसरा नं. नं. 554/699 रकबा 0.12 हेक्टर आराजी बालू उर्फ बालूराम व गणेश पुत्र भेरू को दिनांक 25.05.1974 को नियमन की गयी जो इंतकाल नं. 145 दिनांक 25.05.1974 को खोला जाकर खसरा नं. 420 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा में से एक बीघा बालू, गणेश पुत्र भैरू कोली को गैरखातेदारी स्वीकृत की गयी, जिसके भू–प्रबन्ध विभाग सम्वत 2038 से 2057 में खसरा नं. 420 मिन के नये खसरा नं. 554/699 रकबा 0.12 हेक्टर कायम किये गये है जो राजस्व कर्मचारियों द्वारा जमाबंदी सम्वत 2031 से 2034 की तैयार करते वक्त गलत रूप से वादीगण के पिता बालू उर्फ बालूराम का नाम बाबू व गणेश पुत्र भैरू कोम कोली गलत रूप से दर्ज कर दिया जबकि

(दीप्ति समचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

इंतकाल कमांक 145 में बालू व गणेश पुत्र भैरू कोली के नाम ही खोला गया है। वादीगण के पिता बालू का देहांत हो जाने के कारण वादीगण खसरा नं. 554/699 में अपना 1/2 हिस्सा पृथक कराकर तथा अपने पिता का नाम बाबू के स्थान पर वास्तविक नाम बालू उर्फ बालूराम कराने के अधिकारी एवं नालिशी है।

इसी प्रकार ग्राम समसपुर पटवार क्षेत्र लिसाडिया तहसील बारां की जमाबंदी 2067–2070 जमाबंदी संख्या नया 46 पुराना 40 की आराजी खसरा नं. 86 रकबा 0.18 हेक्टर, खसरा नं. 236/680 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नं. 554 रकबा 1.14 हेक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.35 हैक्टर आराजी सम्वत 2047–50 की जमाबंदी में 1/3 मुस. केसर बेवा भैरू व 2/3 बालू, गणेश पिता भैरू के खातेदारी में दर्ज था जिसमें मुस0 केसर बेवा भेरू का देहांत होने पर नामान्तरण संख्या 154 दिनांक 02.06.1993 को खोला जाकर मृतक केसर के स्थान पर बालू, गणेश पुत्र भैरू का नाम दर्ज किया किया इस प्रकार 1/2 हिस्से पर बालू उर्फ बालूराम जो वादीगण के पिता थे तथा 1/2 हिस्से में गणेश पुत्र भैरू जो प्रतिवादीगण 1 ता 5 के पिता थे का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित किया गया किन्तु जमाबंदी संख्या 2051–2054 की कायम करते वक्त राजस्व कर्मचारियों द्वारा गणेश व उसके वारिसान प्रतिवादीगणद्वारा हल्का पटवारी से षडयंत्र पूर्वक वादीगण के पिता बालू उर्फ बालूराम का नाम बाबू करा लिया तथा इसका फायदा उठाकर गणेश व उसके वारिसान द्वारा वादीगण के पिता बालू उर्फ बालूराम के स्थान पर बाबू पुत्र भैरू नाम का फर्जी व्यक्ति तैयार कर गवाह रामचन्द पुत्र लटूरलाल माली व बिरधीलाल पुत्र जवाहरलाल, जाति माली से मिली भगत कर दिनांक 27.01.1997 को हकत्याग लिखाया जाकर दिनांक 18.02.1997 को उप पंजीयन बारां से तस्दीक करा लिया गया जिसके आधार पर नामान्तरण संख्या 200 दिनांक 06.03.1997 को खोला गया जो दिनांक 03.05.1997 को तस्दीक किया गया जबकि बाबू नाम का भैरूलाल के कोई पुत्र ही नही था। इस प्रकार इतंकाल नं. 200 दिनांक 06.03.1997 जो दिनांक 03.05.1997 को तस्दीक किया गया वादीगण के विरूद्ध प्रभाव शून्य होने के कारण वादीगण अपने पिता बालू उर्फ बालूराम का जो राजस्व रिकार्ड में बाबू कर दिया गया है कि दुरूस्ती कराकर अपना 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में पृथक कराकर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी एवं नालिशी है। अतः उक्त दोनों वर्णित आराजियात में वादीगण के पिता नाम दुरूस्त किया जाकर बाबू के स्थान पर बालू उर्फ बालूराम दर्ज किया जाकर 1/2 हिस्सा का बंटवारा किया जकार पृथक से राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे तथा वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाये कि उनके खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजियात में किसी प्रकार की मदालखत न तो स्वयं करे न किसी से करावे।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण 1 ता 5 की ओर जर्ये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर कथन किया कि राजस्व कर्मचारियों ने कोई गलती नहीं की। बाबूलाल द्वारा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दिनांक 18.02.1997 को हकत्याग पत्र किया है जिसे 17 वर्ष हो गये तथा अब बाबूलाल को भी देहांत हो गया। वादीगण 17 वर्ष बाद वाद लेकर आये जो सरासर निराधार है। अतः वादीगण का वाद संधारणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य है।

उक्त दावे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 14.12.2018 से तनकीवार निर्णय पारित करते हुए अंकित किया कि विवादित आराजी बाबू व गणेश पुत्र भैरूलाल जाति कोली के खातेदारी में दर्ज रही है जिसमें बाबू व गणेश का समान रूप से हिस्सा 1/2–1/2 निहित रहा है। उक्त आराजी के खातेदार बाबू पुत्र भैरू द्वारा अपना 1/2 हिस्से का रजिस्टर्ड हक त्याग प्रतिवादीगण के पिता गणेश के नाम हक त्याग एक्जीविट–13 दिनांक 18.02.1997 से कर दिया गया था तथा उक्त हक त्याग एक्जीविट–13 का राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज नामांतरण संख्या 200 दिनांक 18.02.1997 को चुका था। वादीगण द्वारा उक्त हक त्याग को नियत अवधि में सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं देकर हक त्याग के 17 वर्ष पश्चात् इस न्यायालय में प्रस्तुत वाद पेश कर हक त्याग से चुनौती दी, किन्तु इस न्यायालय को रजिस्टर्ड हक त्याग निरस्त करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है तथा प्रस्तुत वाद भी समयावधि में पेश नहीं कर 17 वर्ष पश्चात् पेश किया है जो अवधि मध्य पेश नहीं हुआ है। सिविल न्यायालय ही हक त्याग की वैधता या निरस्तीकरण कर सकता है यह न्यायालय नहीं। वादी इस न्यायालय से प्रस्तुत वाद में कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं होने से वाद वादी खारिज किया जाना न्यायोचित है। अतः वाद वादी प्रमाणित करने में सफल नहीं रहने से वाद वादी खारिज किया जाता है, इस आशय का आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है।

प्रस्तुत अपील में वादी अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि विवादित आराजी में राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादीगण अपीलांट के पिता बालू उर्फ बालूराम के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में बालू के स्थान पर बाबू नाम दर्ज कर दिया गया जबकि मृतक भैरूलाल जी के केवल बालू व गणेश दो ही पुत्र थे। बाबू नाम का कोई पुत्र नहीं था। जमाबंदी संवत 2047–2050 में खातेदार के रूप में मु. केसर बेवा भैरू हिस्सा 1/3, बालू, गणेश पुत्र भैरू हिस्सा 2/3 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है परन्तु इसके पश्चात जमाबंदी संवत 2051–2054 तैयार करते वक्त बिना किसी वैधानिक प्रकिया के राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादीगण के पिता बालू उर्फ बालूराम के स्थान पर बाबू दर्ज कर दिया गया। वादीगण अपीलांट के उक्त कथन की पुष्टि प्रदर्श 5 व 6 से होती है परन्तु इसके विपरीत जमाबंदी संवत 2031 से 2034 प्रदर्श–10 में बाबू, गणेश पुत्र भैरू दर्ज रिकार्ड है। भू प्रबन्ध जमाबंदी संवत 2038 से 2057 प्रदर्श–11 में भी बाबू, गणेश पुत्र भैरू ही दर्ज रिकार्ड है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 18.02.1997 से बाबूलाल पुत्र भैरूलाल द्वारा विवादित आराजी में निहित अपने 1/2 हिस्से का हकत्याग अपने भाई गणेश पुत्र भैरू के पक्ष में करने पर नामान्तरकरण सं. 200 दिनांक 03.05.1997 को तस्दीक किया जा चुका है, जिसकी पुष्टि प्रदर्श–7 से होती है।

(दीप्ति सम्पचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2031 से 2034 एवं भू प्रबन्ध जमाबंदी संवत 2038 से 2057 में वादीगण अपीलांट के पिता का नाम बाबू दर्ज है। जमाबंदी संवत 2047 से 2050 में बालू दर्ज है और जमाबंदी संवत 2051–2054, संवत 2067–2070 में बाबू दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से नाम में बार बार परिवर्तन कैस व क्यों हुआ इसकी पुष्टि नहीं होती। बालू एवं बाबू एक ही व्यक्ति है या भिन्न भिन्न व्यक्ति है इसकी पुष्टि भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न राजस्व रिकार्ड से नहीं होती। बाबूलाल द्वारा अपने भाई गणेश के पक्ष में निष्पादित हकत्याग पत्र एक पंजीकृत दस्तावेज है जिसे स्वयं बाबूलाल द्वारा अपने जीवनकाल में चुनौती देने की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से नहीं होती। रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र को खारिज करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं होने तथा बालू व बाबू के सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न राजस्व रिकार्ड से वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में अपील के इस स्तर पर हस्तक्षेप करना विधि सम्मत नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.12.2018 यथावत रखी जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/04/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1. भंवरलाल पुत्र बालूराम, जाति कोली
2. श्रीमति चतरीबाई पुत्री बाबूराम पत्नी गिरिराज बनाम किशोर कोली
3. श्रीमति कमलाबाई पुत्री बालूराम पत्नी पन्नालाल, जाति कोली
4. श्रीमति सुशीलाबाई पुत्री बालूराम पत्नी गोपाल लाल, जाति कोली
5. श्रीमति मुन्नीबाई पुत्री बालूराम पत्नी बाबूलाल, जाति कोली

निवासीगण ग्राम पीपल्दा/समसपुर, तहसील बारां राज०

.... अपीलांट

1. गोरधन पुत्र गणेश, जाति कोली, निवासी गेता रोड़ इटावा, जयपुर, विद्युत वितरण निगम लि० इटावा
2. जमनालाल पुत्र गणेश, जाति कोली, निवासी समसपुर, तहसील बारां राज०
3. जगदीश पुत्र गणेश, जाति कोली, निवाती समसपुर, तहसील बारां राज०
4. श्रीमति नन्दकंवरी पुत्री गणेश पत्नी मांगीलाल, जाति कोली निवासी रायथल तहसील मांगरोल, जिला बारां राज०
5. श्रीमति हजारीबाई पुत्री गणेश पत्नी पप्पूलाल, जाति कोली, निवासी समसपुर तहसील बारां जिला बारां राज०
6. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर, बारां राज०
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां राज०

.... रेस्पोडेंट

अपील नं **2019/00034(13/2019)**
मु.द.नं० **16/2014**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, बारां**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **14.12.2018**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **20 माह 08** सन् **2025**

श्री **ओ० पी० मेहता** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री **बाबू लाल जैन** अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.12.2018 यथावत रखी जाती है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **16 माह 09 सन् 2025** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज०)